

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रमाबाई नगर(कानपुर देहात) ।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1351/2026

CNR No.UPRN01- 003491 -2026

धीरज उर्फ बीरू उम्र लगभग 20 वर्ष श्यामजी उर्फ पप्पू, निवासी ग्राम कोटरा मकरन्दपुर, थाना सजेती, जिला कानपुर नगर।

... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य

... विपक्षी

मु०अ०सं०-155/2026

धारा-64(1),115(2),308,351(3),352 बी०एन०एस०

व धारा-3/4 पाक्सो एक्ट

थाना-सजेती, जिला कानपुर नगर।

17.06.2026

आज यह जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ ।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर इस आशय का पृष्ठांकन किया गया है कि उन्हें जमानत प्रार्थनापत्र पर कोई बल नहीं देना है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र, बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दस्त हो।

(रविन्द्र सिंह)

सत्र न्यायाधीश

रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।

J.O. Code-UP02003